BA-II
Paper-II
Unit-I

Date
10/09/20

Page-1

Dr. Rajgopal
Department of Philosophy
V.S.J College Rajnagar

हेत्वाभास

भारतीय न्याय में अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहते हैं। यह वह दोष है जो किसी अनुमान में रहता है और उसे अवैध बना देता है। भारतीय न्यायशास्त्र में हेत्वाभास को अनवस्था भी कहते हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर भी वास्तविक हेतु जैसा आभास मिलता है या अस्तित्व दिखाई देता है। जिसके कारण मानव को भ्रम होता है। हेत्वाभास दो शब्दों के मेल से बना है - हेतु और आभास जहाँ हेतु का तात्पर्य है पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया गया साक्ष्य। और आभास का अर्थ है 'जो नहीं है वह दिखना'। न्याय के पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए जो गलत हेतु के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसे हेत्वाभास कहते हैं।

अनुमान का आधार पक्षधर्मता या व्याप्ति ज्ञान है। पक्षधर्मता पक्ष में हेतु की उपस्थिति है व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच नित्य साहचर्य संबंध है। पक्षधर्मता और व्याप्ति पर आधारित अनुमान के निर्दोष होने के लिए हेतु को वास्तविक होना आवश्यक है। हेतु के काल्पनिक होने पर व्याप्ति ज्ञान एवं उस पर आधारित अनुमान में दोष हो जाता है। इस लिए हेतु के लिए पाँच लक्षणों का होना आवश्यक है। पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्षासत्व अबाधितत्व और असत् प्रतिपक्षत्व। इन विशेषताओं से रहित हेतु अगर साध्य सिद्ध करता है तो अनुमान सदोष हो जाता है और उसका दोष हेत्वाभास कहलाता है।

Scanned with CamScanner

न्याय दर्शन में हेत्वाभास के पाँच भेद किये गये हैं। ये निम्न हैं- (i) सव्यभिचार (ii) विरुद्ध (iii) सत्प्रतिपक्ष (iv) असिद्ध (v) बाधित

(i) सव्यभिचार :⇒ नियम से गिरना व्यभिचार कहलाता है। यदि हेतु साध्य के साथ ऐकान्तिक रूप से संबंध न हो तो ऐसे हेतु को सव्यभिचार या अनैकान्तिक हेतु कहा जाता है। ऐसा हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता है तो कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु से रहता है। सव्यभिचार हेतु के तीन भेद हैं - (i) साधारण (ii) असाधारण (iii) अनुपसंहारी

(i) साधारण सव्यभिचार हेतु :- इसमें हेतु बहुत ही व्यापक होता है। वह पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष, सभी दृष्टान्तों में उपस्थित रहता है। अतः यह अतिव्याप्त होता है। यह विपक्षाद्व्यावृत्ति नियम अर्थात विपक्ष में नहीं रहना चाहिए का उल्लंघन करता है। जैसे-

पर्वत पर आग है क्योंकि वह ज्ञेय है।

इसमें हेतु ज्ञेयत्व तालाब, आदि विपक्षी दृष्टांतों में भी पाया जाता है। अतः इसे साधारण सव्यभिचार हेतु कहा जाता है।

(ii) असाधारण सव्यभिचार हेतु :- इसमें हेतु अत्यंत संकीर्ण होता है। वह केवल पक्ष में होता है, क्योंकि वह उसका निजी गुण है। वह विपक्ष एवं सपक्ष में नहीं रहता है। वह सपक्षसत्व अर्थात हेतु और साध्य के साथ सपक्ष में भी रहना चाहिए नियम का उल्लंघन करता है। जैसे-

शब्द नित्य है, क्योंकि उसमें शब्दत्व है।

इसमें हेतु शब्दत्व शब्द का निजी गुण होने के कारण सपक्षीय दृष्टांतों में अनुपस्थित है। अतः यह असाधारण सव्यभिचार हेतु है।

Scanned with CamScanner